राजस्व अपील संख्या : 01 व 02/2025
उनवान : उकरडी उर्फ सुशीला सोलंकी बनाम कैलाश तथा उकरडी उर्फ सुशीला बनाम तहसीलदार देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1. राजस्व अपील संख्या : 01/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/28

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
उकरडी उर्फ सुशीला सोलंकी पुत्री गिरधारीजी जाति वादी, निवासी केसूली, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.		कैलाश पुत्र मांगीलाल गोदपुत्र छोटकी पत्नी गिरधारी जाति वादी, निवासी केसूली, तहसील देसूरी, हाल निवासी पुरानी धाम, सोनाणा, तहसील देसूरी, जिला पाली राज

2. राजस्व अपील संख्या : 02/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/27

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
उकरडी उर्फ सुशीला सोलंकी पुत्री गिरधारीजी जाति वादी, निवासी केसूली, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.		1. तहसीलदार देसूरी, जिला पाली राज. 2. कैलाश पुत्र मांगीलाल जाति वादी, निवासी केसूली, तहसील देसूरी, हाल निवासी पुरानी धाम, सोनाणा, तहसील देसूरी, जिला पाली राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा केसुली के नामान्तरकरण संख्या 153 दिनांक 22.08.1998 एवं नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 15.03.2005 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित किया गया को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता गणपतलाल चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार।

–:निर्णय:–

दिनांक: 25.02.2026

हस्तगत नामान्तरकरण अपीले अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 समान कृषि आराजी तथा समान पक्षकारों से सम्बन्धित होने के कारण संयुक्त रुप से निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील प्रकरण संख्या 02/2025 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा केसुली के नामान्तरकरण

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 01 व 02 / 2025
उनवान : उकरडी उर्फ सुशीला सोलंकी बनाम कैलाश तथा उकरडी उर्फ सुशीला बनाम तहसीलदार देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

संख्या 153 दिनांक 22.08.1998 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित किया गया को निरस्त करवाने बाबत पेश की। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट के पिता गिरधारी पुत्र चेनाजी, जाति वादी निवारी केसूली तहसील देसूरी की मृत्यु वर्ष 1995 में हो गयी है। वक्त मृत्यु गिरधारीजी की पत्नी छोटकी एवं पुत्री अपीलाण्ट उकरडी उर्फ सुशीला वारिस थे। बाद में गिरधारीजी की पत्नी छोटकी को गुमराह करते हुए एवं अन्धेरे में रखते हुए एक गोदनामा रेस्पोडेण्ट कैलाश ने अपने पक्ष में करवा दिया। गिरधारीजी की पत्नी छोटकी की मृत्यु दिनांक 23.11.2004 को हुई है। अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के समय उनके वारिस उनकी पत्नी छोटकी व पुत्री उकरडी रही है लेकिन तहसीलदार देसूरी ने बिना किसी जांच के केवल मात्र स्व. छोटकी के नाम नामान्तरकरण संख्या 153 भरवाकर राजस्व अभियान के दौरान दिनांक 22.08.1998 को पारित करवा दिया जिसके विरुद्ध उक्त अपील अपीलाण्ट की ओर से निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः–

1. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विरुद्ध भरा जाने से काबिल खारिज है।
2. यह कि अपीलाण्ट स्व. गिरधारीजी की पुत्री है जिस बाबत गिरधारीजी की मृत्यु के बाद भरे गये नामान्तरकरण जैर अपील बाबत रेस्पोडेण्ट द्वारा कोई जांच नहीं की गयी ओर गिरधारीजी की पत्नी स्व. छोटकी अकेली को स्व. गिरधारीजी का उत्तराधिकारी बताकर नामान्तरकरण जैर अपील भरा गया है जो कानूनन अवैध व शून्य है स्व. गिरधारीजी पुत्र चेनाजी कौम वादी की मृत्यु के समय उनकी पत्नी छोटकी व अपीलाण्ट उनकी पुत्री उकरडी उर्फ सुशीला जीवित थी लेकिन उसका नाम नामान्तरकरण में दर्ज नही कर रेस्पोडेण्ट ने कानूनी भूल की है।
3. यह कि स्व. गिरधारीजी पुत्र चेनाजी की मृत्यु के समय अपीलाण्ट उनकी पुत्री जीवित थी यह निर्विवाद है जिसकी जानकारी पटवारी हल्का केसुली को रही है लेकिन पटवारी हल्का केसूली ने जानबूझकर स्व. गिरधारीलाल के फौत होने पर भरे गये फौतेदगी नामान्तरकरण जैर अपील में अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं किया ओर जांच हेतु नामान्तरकरण भू अभिलेख निरीक्षक मगरतलाव को प्रेषित कर दिया जिन्होंने भी बिना कोई जांच किये केवल रिकॉर्ड से जांच किया गया सही पाया का नोट राजस्व अभियान के दौरान लिख दिया ओर राजस्व अभियान के दौरान ही तहसीलदार, देसूरी ने उस नामान्तरकरण को स्वीकृत कर दिया जिस कारण नामान्तरकरण जैर अपील

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

P.T.O.

गलत रुप से बिना कोई जांच के स्वीकृत कर दिया जो नामान्तरकरण विधि विद्धान के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।

4. यह कि स्व. गिरधारी पुत्र चेनाजी जाति वादी हिन्दु थे ओर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 से गवर्न होते थे। स्व. गिरधारी जी ने वादग्रस्त भूमि बाबत अपना कोई वसीयतनामा स्व. छोटकी के पक्ष मे नही लिखा था स्व. गिरधारी जी की निर्वसीयत मृत्यु हो जाने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार उनकी खातेदारी भूमि न्यागत होगी। उक्त धारा के अनुसार उत्तराधिकारी अधिनियम की अनुसूची के वर्ग प्रथम में जो व्यक्ति मृतक का वारिस है उसको उस मृतक की सम्पति में हक प्राप्त होता है चूंकि स्व. गिरधारी का वारिस अपीलाण्ट भी उत्तराधिकारी अधिनियम की अनुसूची के वर्ग प्रथम का उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट का कानूनन हक व अधिकार आता है। धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार मृतक व्यक्ति की भूमि उसकी मृत्यु के समय लागू होने वाले उसके व्यक्तिगत उत्तराधिकारी कानून के अनुसार भूमि न्यागत होने का प्रावधान होने से उस अनुसार भी अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि का खातेदार दर्ज होने की अधिकारी है लेकिन नामान्तरकरण जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।

5. यह कि अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के समय अपीलाण्ट का नाम दर्ज नही किये जाने बाबत कोई जानकारी अपीलाण्ट को नही दी गयी एवं राजस्व रिकॉर्ड के देखने का भी काम अपीलाण्ट के नहीं पडा। अपीलाण्ट की माता छोटकी जब तक जीवित रही तब तक वह नामान्तरकरण जैर अपील में दर्ज खातेदारी भूमि मौजा सरहद केसूली, तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 430 रकबा 1.0800 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय भूमि का उपयोग उपभोग करती रही उनकी मृत्यु दिनांक 23.11.2004 के बाद अपीलाण्ट उस भूमि पर काश्त करवाती थी लेकिन हाल ही में कैलाश पुत्र मांगीलाल ने अपने आप को छोटकी का गोद पुत्र बताते हुये अपीलाण्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी जिस कारण अपीलाण्ट ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करवाया एवं तारीख 26.12.2024 को राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल अपीलाण्ट को दिनांक 27.12.2024 को प्राप्त हुयी जिसके अवलोकन करने पर सर्वप्रथम अपील जैर निगरानी नामान्तरकरण की जानकारी हुयी है जिसकी जानकारी होते ही अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील तैयार करवाई जो अपील अपीलाण्ट द्वारा बिना किसी देरी के अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत की जा रही है। अपील को देरी से पेश किये जाने से डिले को कन्डोन करने हेतु धारा 05 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 01 व 02 / 2025
उनवान : उकरडी उर्फ सुशीला सोलंकी बनाम कैलाश तथा उकरडी उर्फ सुशीला बनाम तहसीलदार देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 153 दिनांक 22.08.1998 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलाण्ट का नाम भी स्व. गिरधारी के वारिसान के रुप में दर्ज किये जाने के निर्देश जारी किये जावें।

अपील गीमों प्रकरण संख्या 01 / 2025 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट की माता छोटकी पत्नी गिरधारी, जाति वादी निवासी केसूली तहसील देसूरी की मृत्यु 23.11.2004 में हो गयी है। वक्त मृत्यु छोटकी के एकमात्र वारिस उसकी पुत्री अपीलाण्ट उकरडी उर्फ सुशीला वारिस रही है। लेकिन गिरधारीजी की पत्नी छोटकी को गुमराह करते हुये एवं अन्धेरे में रखते हुए एक गोदनामा रेस्पोडेण्ट कैलाश ने अपने पक्ष में करवा दिया था। अपीलाण्ट की माता श्रीमती छोटकी की मृत्यु के समय उसके वारिस अपीलाण्ट एवं गोदपुत्र को मान भी लेते है तो छोटकी मृत्यु के समय अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट कैलाश उनके वारिस रहे है लेकिन तहसीलदार देसूरी ने बिना किसी जांच के स्व. छोटकी के वारिसान के रुप में नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 15.07.2005 को राजस्व अभियान के दौरान अकेले रेस्पोडेण्ट के नाम भरवा दिया। जिसके विरुद्ध उपरोक्त अपील अपीलाण्ट की ओर से निम्न आधारो पर प्रस्तुत है:–

1. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विरुद्ध भरा जाने से काबिल खारिज है।
2. यह कि अपीलाण्ट स्व. छोटकी पत्नी गिरधारीजी की पुत्री है जिस बाबत छोटकी पत्नी गिरधारीजी की मृत्यु के बाद भरे गये नामान्तरकरण जैर अपील बाबत रेस्पोडेण्ट द्वारा कोई जांच नहीं की गयी और पटवारी हल्का केसूली ने छोटकी पत्नी गिरधारीजी अकेले वारिस व उत्ताराधिकारी रेस्पोडेण्ट कैलाश को उत्ताराधिकारी बताकर नामान्तरकरण जैर अपील भरा गया है जो कानूनन अवैध व शून्य है स्व. छोटकी पत्नी गिरधारीजी पुत्र चेनाजी कौम वादी की मृत्यु के समय उनकी पुत्री अपीलाण्ट उकरडी उर्फ सुशीला जीवित थी लेकिन उसका नाम नामान्तरकरण में दर्ज नही कर रेस्पोडेण्ट पटवारी हल्का केसूली व तहसीलदार देसूरी से मिलकर गलत व गैर कानूनी म्यूटेशन भरवा दिया जो नामान्तरकरण जैर अपील अवैध व शून्य है।
3. यह कि स्व. छोटकी पत्नी गिरधारीजी की मृत्यु के समय अपीलाण्ट उनकी पुत्री जीवित थी यह निर्विवाद है जिसकी जानकारी पटवारी हल्का केसूली को रही है लेकिन पटवारी हल्का केसूली ने जानबूझकर स्व. छोटकी पत्नी गिरधारीलाल के फौत होने पर भरे गये फौतेदगी नामान्तरकरण जैर अपील में अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं किया ओर जांच हेतु नामान्तरकरण भू अभिलेख निरीक्षक मगरतलाव को प्रेषित कर दिया जिन्होंने भी बिना कोई जांच किये केवल रिकॉर्ड से जांच किया गया सही पाया का नोट राजस्व अभियान के दौरान लिख दिया ओर राजस्व अभियान के दौरान ही तहसीलदार, देसूरी ने उस नामान्तरकरण को अकेले रेस्पोडेण्ट को गोदपुत्र की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 01 व 02 / 2025
उनवान : उकरडी उर्फ सुशीला सोलंकी बनाम कैलाश तथा उकरडी उर्फ सुशीला बनाम तहसीलदार देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

हैसीयत से अकेला वारिस बताते हुये नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत कर दिया जिस कारण नामान्तरकरण जैर अपील गलत रुप से बिना कोई जांच के स्वीकृत कर दिया जो नामान्तरकरण विधि विद्धान के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।

4. यह कि स्व. छोटकी पत्नी गिरधारी पुत्र चेनाजी जाति वादी हिन्दु थे ओर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 से गवर्न होते थे। स्व. छोटकी पत्नी गिरधारी जी की निर्वसियति मृत्यु हो जाने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार उनकी खातेदारी भूमि न्यागत होगी। उक्त धारा के अनुसार उत्तराधिकारी अधिनियम की अनुसूची के वर्ग प्रथम में जो व्यक्ति मृतक का वारिस है उसको उस मृतक की सम्पति में हक प्राप्त होता है चूंकि स्व. छोटकी का वारिस अपीलाण्ट भी उत्तराधिकारी अधिनियम की अनुसूची के वर्ग प्रथम का उत्तराधिकारी होने से वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट का कानूनन हक व अधिकार आता है। धारा 40 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार मृतक व्यक्ति की भूमि उसकी मृत्यु के समय लागू होने वाले उसके व्यक्तिगत उत्तराधिकारी कानून के अनुसार भूमि न्यागत होने का प्रावधान होने से उस अनुसार भी अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि का खातेदार दर्ज होने की अधिकारी है लेकिन नामान्तरकरण जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है।

5. यह कि अपीलाण्ट के माता की मृत्यु के समय अपीलाण्ट का नाम दर्ज नही किये जाने बाबत कोई जानकारी अपीलाण्ट को नही दी गयी मौजा सरहद केसूली, तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 430 रकबा 1.0800 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय जो छोटकी पत्नी गिरधारी के नाम दर्ज थी उसका भूमि का उपयोग उपभोग करती रही उनकी मृत्यु दिनांक 23.11.2004 के बाद अपीलाण्ट उस भूमि पर काश्त करवाती थी लेकिन हाल ही में कैलाश गोद पुत्र छोटकी पत्नी गिरधारी ने अपने आप को छोटकी का गोद पुत्र बताते हुये अपीलाण्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी जिस कारण अपीलाण्ट ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करवाया एवं तारीख 26.12.2024 को राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल अपीलाण्ट को दिनांक 27.12.2024 को प्राप्त हुयी जिसके अवलोकन करने पर सर्वप्रथम अपील जैर निगरानी नामान्तरकरण की जानकारी हुयी है जिसकी जानकारी होते ही अपीलाण्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील तैयार करवाई जो अपील अपीलाण्ट द्वारा बिना किसी देरी के अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत की जा रही है। अपील को देरी से पेश किये जाने से डिले को कन्डोन करने हेतु धारा 05 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 01 व 02 / 2025

उनवान : उकरडी उर्फ सुशीला सोलंकी बनाम कैलाश तथा उकरडी उर्फ सुशीला बनाम तहसीलदार देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

6. यह कि अपीलाण्ट स्व. छोटकी व स्व. गिरधारी की वैध वारिस है जिसका कानूनन स्व. गिरधारी एवं स्व. छोटकी की मृत्यु के बाद बहैसियत उत्ताराधिकारी व वारिस के रुप में नाम दर्ज किया जाना काननून आवश्यक व न्यायसंगत है लेकिन अगर कोई नामान्तरकरण बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये भरा भी गया है तो वह प्रारम्भ से अवैध व शून्य है। जिस कारण ऐसे अवैध व शून्य नामान्तरकरण बाबत कोई म्याद लागु नही होती है लेकिन फिर भी कानून में अन्यथा विवाद नही हो इस कारण अपीलाण्ट की ओर से धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 15.07.2025 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलाण्ट का नाम भी स्व. छोटकी पत्नी गिरधारी के के वारिसान के रुप में दर्ज किये जाने के निर्देश जारी किये जावें।

सारांशतः, अपीलार्थिया द्वारा मौजा केसुली की कृषि भूमि खसरा संख्या 430 रकबा 1.08 हैक्टेयर के सम्बन्ध में स्व. गिरधारीलाल तथा बाद में उनकी पत्नी स्व. श्रीमती छोटकी की मृत्यु होने पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या क्रमशः 153 दिनांक 22.08.1998 तथा 314 दिनांक 15.03.2005 को इस आधार पर चुनौति दी है कि अपीलार्थिया स्व. गिरधारीलाल एवं श्रीमती छोटकी की एकमात्र जायन्दा पुत्री होने के उपरान्त भी उक्त दोनों आलोच्य नामान्तरकरणों के जरिये राजस्व अभिलेख में उसका नाम इन्द्राज नहीं किया गया।

विचाराधीन नामान्तरकरण अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम दिनांक 03.02.2026 को स्वीकार करते हुए विलम्ब अवधि का उपशमन करते हुए अपीलो को अवधिशुमार घोषित किया गया। ज़ैर अपील दोनों नामान्तरकरण आदेशों का पूर्व में ही प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने वक़्त बहस अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थिया स्व. गिरधारीलाल एवं श्रीमती छोटकी की एकमात्र जायन्दा पुत्री है तथा राजस्व कार्मिको द्वारा स्व. श्री गिरधारीलाल की मृत्यु पर दर्ज आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 153 स्वीकृति दिनांक 22.08.1998 के द्वारा अपीलार्थिया के स्थान पर स्व. गिरधारीलाल की पत्नी अकेले के नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज प्रविष्टि की गई जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विपरित है। इसी प्रकार, स्व. गिरधारीलाल की पत्नी एवं अपीलार्थिया की माता श्रीमती छोटकी की मृत्यु पर भी स्वीकृत फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 15.03.2005 में भी अपीलार्थिया के एकमात्र जायन्दा पुत्री होने के उपरान्त भी उसका नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं किया गया एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो द्वारा गुमराह करते हुए निष्पादित करवाए गए गोदनामें के आधार पर अकेले अप्रार्थी श्री कैलाश के पक्ष में उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जो प्रारम्भतः ही शून्य होने से काबिल खारिज है। काबिल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 01 व 02 / 2025

उनवान : उकरडी उर्फ सुशीला सोलंकी बनाम कैलाश तथा उकरडी उर्फ सुशीला बनाम तहसीलदार देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने बहस को समेकित करते हुए जैर अपील प्रश्नगत कृषि आराजी पर आज भी अपीलार्थिया का कब्जा होने तथा जेर अपील दोनों नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित बताते हुए उन्हें अपास्त करने का निवेदन किया।

काबिल अधिवक्ता बजतरफ अप्रार्थी संख्या दो ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए विचाराधीन नामान्तरकरण अपीलों को अवधिबाधित बताया तथा अपीलार्थिया की माता स्व. श्रीमती छोटकी द्वारा अप्रार्थी श्री कैलाश के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत गोदनामा दिनांक 08.07.1998 को इंगित करते हुए अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत कथनों को आधारहीन करार दिया। साथ ही, उक्त स्व. श्रीमती छोटकी द्वारा निष्पादित कच्चीलिखत दिनांक 21.02.2000 में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए भूमि का कब्जा अप्रार्थी के जायन्दा पिता श्री मांगीलाल को पूर्व में ही सुपुर्द करने तथा अपीलार्थिया का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा, नहीं होने का कथन करते हुए विचाराधीन अपीलों को खारिज करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थिया ने स्वयं को स्व. गिरधारलाल एवं श्रीमती छोटकी की एकमात्र जायन्दा पुत्री होने के आधार पर जेर अपील कृषि आराजी खसरा संख्या 430 मौजा केसूली में अपना वैधानिक हक जाहिर किया है। अप्रार्थीपक्ष द्वारा सुनवाई के दौरान इस तथ्य का खण्डन नहीं किया कि अपीलार्थिया उक्त स्व. गिरधारीलाल एवं श्रीमती छोटकी की एकमात्र जायन्दा पुत्री है। अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजों की प्रतियां से भी प्रथमदृष्टया यही प्रमाणित होता है अर्थात् यह स्वीकार्य स्थिति (Admitted Position) है कि अपीलार्थिया स्व. गिरधारीलाल एवं श्रीमती छोटकी की एकमात्र जायन्दा पुत्री है।

यह भी स्वीकार्य स्थिति है कि अपीलार्थिया के पिता स्व. गिरधारीलाल हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों से शासित होते थे तथा उनकी निर्वरीयत मृत्यु होने पर उनकी खातेदारी भूमि प्रश्नगत कृषि आराजी मौजा केसूली खसरा संख्या 430 रकबा 1.08 हैक्टेयर का हस्तान्तरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानारुप होना अपेक्षित था। किन्तु स्व. गिरधारीलाल की मृत्यु पर स्वीकृत फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 153 दिनांक 22.08.1998 में उनकी पत्नी श्रीमती छोटकी के नाम ही नामान्तरकरण दायर किया गया जबकि उनकी एकमात्र जायन्दा पुत्री अर्थात अपीलार्थिया का नाम भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 सपठित प्रथम अनुसूची अनुसार प्रथम श्रेणी वारिस होने के आधार पर आलोच्य नामान्तरकरण में दर्ज होना अपेक्षित था किन्तु राजस्व कार्मिकों द्वारा स्व. गिरधारीलाल के वारिसों की समुचित जांच सम्पादित किए बिना दर्ज नामान्तरकरण संख्या 153 को तहसीलदार देसूरी द्वारा दिनांक 22.08.1998 को स्वीकृत किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 01 व 02 / 2025

उनवान : उकरडी उर्फ सुशीला सोलंकी बनाम कैलाश तथा उकरडी उर्फ सुशीला बनाम तहसीलदार देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

इसी प्रकार अपीलार्थिया की माता श्रीमती छोटकी की मृत्यु पर दायर आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 314 स्वीकृति दिनांक 15.03.2005 में भी अपीलार्थिया के स्थान पर अप्रार्थी श्री कैलाश गोदपुत्र के रुप में नाम प्रविष्ट किया गया, जबकि अपीलार्थिया उक्त श्रीमती छोटकी की एकमात्र जायन्दा पुत्री होने के उपरान्त भी उसका नाम प्रविष्ट नहीं किया गया। यद्यपि यहॉ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलार्थिया श्री कैलाश के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत गोदनामा दिनांक 08.07.1998 की वैधता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाए है और न ही ऐसा कोई कथन या दस्तावेज ही पेश किया है कि अपीलार्थिया द्वारा उक्त गोदनामें को सिविल न्यायालय में ही चुनौती दी गई हो। किन्तु वैधानिक स्थिति यह है कि स्व. श्रीमती छोटकी की मृत्यु उपरान्त उनकी जायन्दा पुत्री के नाते जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण के द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 सपठित प्रथम अनुसूची के प्रावधानारुप अपीलार्थिया का नाम भी प्रश्नगत कृषि आराजी के राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना अपेक्षित था।

संक्षेप में, स्व. गिरधारीलाल की मृत्यु होने पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 153 दिनांक 22.08.1998 तथा उनकी पत्नी श्रीमती छोटकी की मृत्यु पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 15.03.2005 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से अवैधानिक एवं काबिल खारिज है।

अतः अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत निर्णयाधीन दोनों नामान्तरकरण अपीलें स्वीकार की जाती है तथा पटवार मण्डल केरूली रो सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 153 स्वीकृति दिनांक 22.08.1998 तथा नामान्तरकरण संख्या 314 दिनांक 15.03.2005 अपास्त किए जाते है।

साथ ही, प्रकरण तहसीलदार देसूरी को पुनर्प्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि मौजा केसूली के खसरा संख्या 430 रकबा 1.08 हैक्टेयर के सम्बन्ध में स्व. गिरधारीलाल की एकमात्र जायन्दा पुत्री के रुप में अपीलार्थिया का भी नाम प्रविष्टि हेतु नये सर नामान्तरकरण कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली (पाली)